राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 1302/2013/झालावाड़

राजकुंवर बाई पत्नि श्री उदयसिंह, जाति राजपूत, निवासी उन्हेल तहसील गंगधार जिला झालावाड़। .....प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपंपजीयक एंव पदेन कलक्टर वृत कोटा।
2. रमेशचन्द पुत्र अमृतलाल।
3. पारसचन्द पुत्र अमृतलाल।
4. कमलाबाई बेवा अमृतलाल।

जाति लुहाल निवासी उन्हेल तहसील गंगाधर जिला झालावाड़। .....अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित :

श्री विकास पाराशर

अभिभाषक ..... प्रार्थीया की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा

उपराजकीय अभिभाषक ..... अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

अनुपस्थित ..... अप्रार्थीगण सं. 2 व 3

नाम तर्क ..... अप्रार्थी सं. 4

निर्णय दिनांक : 20/02/2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थीया द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) कोटा (जिसे आगे 'कलक्टर (मुद्रांक)' कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 98/2011 में पारित आदेश दिनांक 26.08.2011 के विरूद्व राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक गंगधार जिला झालावाड़ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया है।
2. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण सं. 2 ता 4 से ग्राम उन्हेल खाता सं. 75 कुल किता 6 रकबा 10 बीघा 17 बीस्वा आराजी में से खसरा नं. 1622 रकबा 2 बीघा में से 6 बीस्वा उत्तर दिशा की आराजी क्रय की

लगातार.....2

जिसका विक्रय पत्र दिनांक 16.06.07 को पंजीबद्ध किया जाकर दस्तावेज लौटा दिया गया। महालेखाकार जांच दल द्वारा आक्षेप लिया गया कि 1000 वर्गगज से कम भूखण्डों का मूल्यांकन विभागीय परिपत्र सं. 2/04 के बिन्दु सं. 3(ख) के अनुसार यदि दस्तावेज से हस्तान्तरित भूमि 1000 वर्गगज से कम है एवं भूमि आबादी के पास स्थित है तो उस भूमि की मालियत आवासीय दर से की जानी चाहिए। इस आधार पर प्रस्तुत रेफरेन्स को अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय दिनांक 26.08.11 में यथावत स्वीकार करते हुये कमी मुद्रांक 29728/– रू., कमी पंजीयन शुल्क 4574/– रू. एवं तावान 148/– कुल 34450/– वसूल किये जाने के आदेश दिये गये जिसके विरूद्व प्रार्थीया क्रेता द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकॉर्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी सं. 2 व 3 अनुपस्थित रहें। अप्रार्थी सं 4 का नाम विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया के निवेदन पर तर्क किया गया।
4. बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष सुनी गई।
5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई विवेचना एंव विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित किया है। प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित भूमि कृषि भूमि है जो गांव एवं राड से ढेड–दो किलोमीटर दूर स्थित है। प्रार्थीया को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रार्थीया को निर्णय की जानकारी वसूली की कार्यवाही से हुई थी। अधीनस्थ न्यायलय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है एंव तथ्यों के विपरीत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जावें।
6. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत हैं। अतः निगरानी खारिज की जावें।
7. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–
8. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, प्रार्थना पत्र में अंकित कारण कि प्रार्थीया को निर्णय की

लगातार.....3

जानकारी कुर्की की कार्यवाही से हुई है संतोषजनक होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

9. विचाराधीन प्रकरण में रेफरेन्स ऑडिट आक्षेप के निम्न आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि " 1000 वर्गगज से कम भूखण्डों का मूल्यांकन विभागीय परिपत्र सं. 2/04 के बिन्दु सं. 3(ख) के अनुसार यदि दस्तावेज से हस्तान्तरित भूमि 1000 वर्गगज से कम है एवं भूमि आबादी के पास स्थित है तो उस भूमि की मालियत आवासीय दर से की जानी चाहिए।" अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इस बिन्दु बाबत् कोई जांच नहीं की है कि प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित भूमि आबादी के पास है या नहीं। अधीनस्थ न्यायालय को रेफरेन्स के बिन्दुओं के संबंध में राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के अन्तर्गत जांच कर रेफरेन्स के तथ्यों पर विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था। इस दृष्टिकोण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है तथा प्रकरण रेफरेन्स के तथ्यों की जांच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण में निगरानीधीन निर्णय दिनांक 26.08.2011 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के अन्तर्गत रेफरेन्स के तथ्यों की जांच कर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.03.16 को पेश हो।

11. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य